

01-12-25

पत्रावली वेश हुई। वकील उभायपक्ष उपास्थित।
वादी द्वारा उपास्थित होकर निवेदन किया गया
कि वादी अपने इस वाद में यागे कोई कार्यवाही
नहीं करना चाहता। अतः वादी का निवेदन
स्वीकार किया जाकर वादी का वादपत्र नोटिस
के माध्यम पर इसी स्तर पर खारिज किया
जाता है। पत्रावली का तरीका तत्काल होकर
दाखिल रहता है।

निर्णय लिखा जाकर बुले च्यापलय
में सुनाया गया।

(प्रिया बजाज)
RAS



श्रीमान
वादी वदमें
आगे कोई
कार्यवाही नहीं
करवाना चाहता है।

पहचानकर्ता
Prinib